न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000302013</u> दांडिक प्रकरण क.-266 / 13 संस्थापित दिनांक-08.08.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :--आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

01-रामदास पुत्र गनेशराम अहिरवार आयु 28 वर्ष निवासी नई बस्ती फतेहाबाद,

02-गनेशराम उर्फ गनेशा पुत्र हीरालाल अहिरवार आयु 65 वर्ष निवासी फतेहाबाद,

03-ममता बाई पत्नी गनेशराम अहिरवार आयु 24 वर्ष निवासी नई बस्ती फतेहाबाद।

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)

आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह

अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324, 325, 341, 506बी, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहतगण से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 341, 325/34—दो बार, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34—तीन बार के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मोतीलाल अहिरवार ने दिनांक 10.07.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा पुरानी रंजिश पर से उसके एवं आहतगण के साथ मादरचोद—बहनचोद की गंदी—गंदी गालियां दी गईं एवं मना करने पर लोहे की छड़ एवं लाठी—डंडों से उनकी मारपीट की। और जब वे रिपोर्ट करने थाने आने लगे तो रास्ता रोककर थाने पर रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 246/13 के अंतर्गत भादिव की धारा 324, 323, 294, 341, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 325/34—दो बार, 324/34—तीन बार, 341 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.07.13 को समय रात 09.30 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम फतेहाबाद स्थित नई बस्ती फरियादी के घर के पास लोकस्थल पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत मोतीलाल, रामराजा व सुशीलाबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत मोतीलाल, रामराजा व सुशीलाबाई को लोहे की छड़ से जो कि यदि आकामक आयुध के रूप में उपयोग में लायी जावे तो उससे मृत्यु कारित होना संभावित है, से उपहित कारित की, जो कि धारा 324/34—तीन शीर्ष भादिव के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मोतीलाल, अ.सा. 02 रामराजा, अ.सा. 03 सुशीलाबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 मोतीलाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से झगडा हो गया था और झूमा झटकी में उसे चोट लग गई थी। अ.सा. 01 के अनुसार आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे लोहे की छड़ और लाठी, डंडों से मारा था। अ.सा. 01 ने पुलिस कथन प्रपी 02 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 रामराजा एवं अ.सा. 03 सुशीलाबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण एवं मोतीलाल का झगडा हो गया था। उक्त साक्षीगण के अनुसार झूमा झटकी में मोतीलाल एवं उन्हें चोटें आई थीं। उक्त साक्षीगण ने पुलिस कथन प्रपी 03 एवं प्रपी 04 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने मोतीलाल की लोहे की छड़ से मारपीट की थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है

कि आरोपीगण ने उनके साथ लोहे की छड से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एक भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादिया एवं आहतगण की लोहे की छड़ से मारपीट कर उपहति कारित की।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34—तीन बार के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की छड़, एक बांस की लाठी, एक बांस का डंडा, एक लकडी का डंडा मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जाएं। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)